

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या—वनभूमि—15/2023—1813 व०प०, राँची, दिनांक—19/05/2023
प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :— मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन् पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन् हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हेठो वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपके कार्यालय का पत्रांक—390 दिनांक—12.04.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के संबंध में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/मंतव्य/प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :—

- (i) CWLW का मंतव्य।
- (ii) प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण—पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।
- (iii) प्रस्ताव के पार्ट-II एवं प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित घनत्व में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

१८५१९/०५/२०२३
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक—वनभूमि—15/2023—1813 व०प०, राँची, दिनांक—19/05/2023

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन कॉम्प्लेक्स, मऊभण्डार, घाटशिला, झारखण्ड—832103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८५१९/०५/२०२३
उप परामर्शी।